प्रजनन यौन स्वास्थ्य अधिकार व सतत विकास लक्ष्य

वडोदरा स्थित सहज संस्था द्वारा मध्य प्रदेश के संदर्भ में 'प्रजनन यौन स्वास्थ्य अधिकार व सतत विकास लक्ष्य' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 30 अप्रैल व 1 मई 2018 को भोपाल में किया गया। इस कार्यशाला में मातृत्व स्वास्थ्य हकदारी अभियान के सदस्यों के अलावा विड़ियों वॉलंटियर व जन स्वास्थ्य अभियान के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को प्रजनन व यौन स्वास्थ्य सम्बन्धित SDGs -3 व 4 के संदर्भ में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा करना था तथा साथ ही उपस्थित संस्थाओं व नैटवर्क द्वारा किए गए प्रयासों को भी जानना था।

कार्यशाला की शुरूआत करते हुए सहज संस्था से आए नीलांगी व रश्मि ने सहज के इक्वल मैज़र्स 2030 प्रोजेक्ट के बारे में सभी को अवगत करवाया कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा 6 राज्यों (असम, बिहार, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश व केरल) में सरकार द्वारा SDGs को लेकर किए गए/जा रहे प्रयासों को जानना है। चार राज्यों जिनमें मध्य प्रदेश भी एक है, में यह समीक्षा ओर गहराई से लैंगिक समानता के लैंस से करना तय किया गया है। वर्तमान कार्यशाला उसी दिशा में एक प्रयास है।

प्रथम सत्र में मध्य प्रदेश के जनसंख्या के आंकड़े तथा स्वास्थ्य के निर्धारक सूचकों जैसे– लिंग अनुपात, महिला साक्षरता दर, पेय जल, ईंधन, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाओं इत्याादि की स्थिति को सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के द्वारा समझा गया तथा प्रतिभागियों ने जमीनी हकीकत के बारे में बयान किया। सामने आया कि शौचालय बनाने का सरकारी दबाव है तथा ज्यादातर केसों में शौचालयों का प्रयोग ही नहीं होता बल्कि इन्हें स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया। इसके साथ ही आंकड़ों से ये भी सामने आया कि प्रजनन आयु वर्ग की सभी महिलाओं, विशेषकर गर्भवती महिलाओं में एनिमिया अभी भी एक चुनौति बना हुआ है बेशक NFHS 3 के मुकाबले NFHS 4 में इसमें लगभग तीन अंक का सुधार हुआ है (क्रमशः 57.9 व 54.6) पर कमोबेश हालात खराब ही हैं।

SDGs के लक्ष्य 3 जो कि सभी आयुवर्ग के सब लोगों के लिए स्वस्थ जीवन पर केंद्रित है , के अंर्तगत मातृ मृत्यू दर को कम करना पहला कार्य है। प्रदेश में मातृ मृत्यू दर 221 है जो कि देश के आंकड़े 167 से कहीं ज्यादा है (SRS 2011-13)। इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को NFHS 3 व 4 के आंकड़ो की नज़र से समझा गया जिसमें मुख्यतः गर्भावस्था, प्रसव व प्रसव पश्चात की देखभाल सम्बन्धित सेवाओं का अवलोकन किया गया। बेशक यह स्थिति में सुधार दर्शाता है पर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता ! सहभागियों का कहना था कि सेवाओं की गुणवत्ता बहूत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जो इन आंकड़ो से सामने नहीं आता। इसी संदर्भ में MHRC के साथियों द्वारा 2015–16 में मातृत्व व प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की गई समुदाय आधारित निगरानी की रिर्पोट को प्रस्तुत किया गया जिसमें जिले व राज्य स्तर पर किए गए पैरोकारी के प्रयासों व परिणामों को सांझा किया गया। यह अन्य प्रतिभागियों के लिए एक नया प्रयास प्रतीत हुआ तथा उन्होंनें इस के बारे में विस्तार से जानने के लिए MHRC के साथियों से इच्छा व्यक्त की व अलग से संपर्क किया।

इसी तरह लक्ष्य 3.7 – यौन व प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सब की पहुंच सुनिश्चित करना, पर चर्चा के दौरान गर्भ निरोधन सेवाओं की जमीनी स्थिति को बताते हुए MHRC के साथी ने महिला नसबंदी शिविरों की निगरानी को लेकर किए गए कैम्प वॉच प्रयासों को सांझा किया। सुनियोजित तरिके से किए गए इन

प्रयासों की अन्य सहभागियों ने बहुत प्रशंसा की। सहभागियों ने MHRC के बारे में व इसके सदस्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को विस्तार से जानने के बारे में रूचि दिखायी। निःसंदेह यह MHRC के साथियों के लिए उत्साहवर्द्धक था।

यह भी सामने आया कि प्रजनन स्वास्थ्य से जुडे कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे कि सुरक्षित गर्भपात जिन बहुत कम काम हुआ है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि मातृ मृत्यु के लिए जिम्मेदार पाँच प्रमुख कारणों में से एक असुरक्षित गर्भपात है । अतः यह जानने की जरूरत है कि इस से सम्बन्धित सेवाओं की उपलब्धता व समुदाय में इस बारे में जागरूकता की क्या स्थिति है व सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में SDGs को लेकर सरकार ने सभी विभागों व सभी हितकारकों से विमर्श करके 'विज़न 2018' तैयार किया है तथा सभी उल्लेखित मापदंड़ो का लगातार नियमित रूप से अवलोकन किया जा रहा है। प्रदेश में इसके लिए राज्य योजना आयोग इसके लिए नॉडल एजेन्सी है जो भारत सरकार के नीति आयोग के साथ तालमेल से काम कर रही है। विज़न 2030 के दस्तावेज व SDGs को लागू करवाने के रोड़मैप की प्रक्रिया को तैयार करने व इसका नेतृत्व करने के लिए नौ टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नीति आयोग द्वारा सीधे तौर पर आठ जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जहां सेवाओं, सुविधाओं व स्थिति को लेकर उनके द्वारा ऑडिट किया जा रहा है। ये जिले हैं– बड़वानी, दमोह, खंड़वा, सिंगरौली, विदिशा, अली राजकोट, छत्तरपूर व पन्ना। पॉलिसी नियोजन व निगरानी के लिए हर विभाग में SDG सैल बनाए गए हैं । सभी सहभागियों ने अपने जिले में इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का तय किया।

कार्यशाला के दौरान MHRC , जन स्वास्थ्य अभियान व विड़ियो वॉलंटियर द्वारा यह माना गया किया गया कि अलग–अलग नेटवर्क के सदस्यों को आपसी तालमेल से कार्य करने की जरूरत है तथा एक दूसरे के अनुभव व पहुंच को सामूहिक ताकत बनाने की आवश्यकता है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं व अधिकारों तक सबकी पहुंच को सुनिशचित करने के लिए पुरजोर तरीके से पैरवी की जा सके।

यह कार्यशाला MHRC के लिए मुझे बहुत महत्त्वपूर्ण लगी क्योंकि इस कार्यशाला में सदस्यों ने अगुवाई करने की स्वयं पहल की। हर विषय पर उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए, इसे सबके सामने प्रस्तुत करने का उन्में एक उत्साह देखने को मिला। यही नहीं, कुछ मौकों पर वो एक दूसरे को याद भी दिलाते दिखाई दिए ताकि हर जिले में किए जा रहे प्रयासों व अनुभवों को बांटा जा सके। उपस्थित सहभागियों में सबसे ज्यादा MHRC के सदस्य ना केवल उपस्थित थे बल्कि यहां ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि उनके द्वारा मातृ व प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर किए जा रहे प्रयास बहुत सुनियोजित होने के कारण MHRC सब सहभागियों के ध्यानाकर्षण का केन्द्र भी बन गया। कई लोगों के लिए ये हैरानी का विषय था कि वर्तमान में किसी प्रोजैक्ट या वित्तिय सहायता के बिना भी सदस्य संस्थाएं इस तरह के प्रयास कर रही हैं। हर कोई इस नेटवर्क के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो उठा। यहां तक कि कई सहभागियों ने इस की सदस्यता लेने के लिए इच्छा जताई। इसके लिए सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। MHRC को सक्रिय, सार्थक व सशक्त बनाए रखना आप सबकी जिम्मेवारी है, ये आपका अपना नेटवर्क है, यह इस कार्यशाला में बहुत अच्छे से उभर कर सामने आया। अब हमें अपने मकसद को लेकर फिर से जुट जाना है ताकि मातृत्व व प्रजनन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में हम योगदान दे सकें।